न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 139/13/टीआई

राजेन्द्र पुत्र रामगोपाल जाति ब्राह्मण उम्र 43 साल निवासी हनुमानपुरा तन खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—प्रार्थी

ब ना म

1. रामगोपाल पुत्र जगदीश प्रसाद उर्फ जगन्नाथ जाति ब्राह्मण उम्र 65 साल निवासी हनुमानपुरा तन खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
2. राकेश पुत्र रामगोपाल जाति ब्राह्मण उम्र 40 साल निवासी हनुमानपुरा तन खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
3. उप पंजीयक, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
4. तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

—अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति—

1. श्री रेखराज पारीक वकील प्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक— 30.04.2014

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम हनुमानपुरा तन खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में अवस्थित भूमि खसरा 1465 रकबा 0.02 है0, 1466 रकबा 0.83, 1468 रकबा 0.68 है0 किता 3 कुल रकबा 1.53 है0 (पुराने खसरा नं. 867 मि. है) एवं खसरा नं. 1392 रकबा 0.06 है0, 1393 रकबा 0.07 है0 किता 2 कुल रकबा 0.13 है0 (जिसके पुराने ख.नं. 819/2320 है।) है। आवेदन पत्र की मद सं. 2 की उपमद (क) में वर्णित कृषि आराजियात में आवेदक का 1/6 हि. है एवं अनावेदक सं. 1 ता 3 का 1/6, 1/6 हि. है एवं इसी प्रकार उप मद (ख) में आवेदक का 1/12 एवं अनावेदकगण सं. 1 ता 3 का 1/12, 1/12 हक हिस्सा है एवं उसी अनुरूप आवेदक एवं अनावेदकगण सं. 1 ता 3 का कब्जा काश्त है। उक्त वर्णित कृषि आराजियात आवेदक के दादा जगदीश प्रसाद उर्फ जगन्नाथ के खातेदारी काश्तकारी में थी जो मद सं. 2 की उपमद सं. (क) संपूर्ण तथा उपमद सं. (ख) की 1/2 खातेदारी काश्तकारी में रही थी, इस कारण उक्त भूमियां पैत्रिक भूमियां रही है। विवादित कृषि भूमियां पैत्रिक होने से जन्म से ही आवेदक एवं अनावेदकगण सं. 2 व 3 का हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

आवेदन पत्र की मद सं. 3 के अनुसार रहा है। आवेदक एवं अनावेदक सं. 1 ता 3 का सजरा खानदान निम्न प्रकार है–

जगदीश प्रसाद उर्फ जगन्नाथ(फौत)

↓

सरस्वती उर्फ प्रभाती	रामगोपाल	शिवदयाल
पत्नी(फौत)	पुत्र (प्रति. सं.1)	

↓

राजेन्द्र	राकेश	मंजू
पुत्र(वादी)	पुत्र(प्रति.सं.2)	पुत्री(प्रति.सं.3)

आवेदन पत्र की मद सं. 2 की उपमद (क) एवं (ख) में वर्णित कृषि भूमियां आवेदक के दादा जगदीश प्रसाद उर्फ जगन्नाथ की होने से उक्त कृषि भूमियां पैत्रिक कृषि भूमियां रही है। उक्त भूमियां आवेदक के पिता रामगोपाल की स्वयं की आय से खरीदी हुई नहीं है। इस कारण उक्त वर्णित कृषि भूमियों में आवेदक का हक व हिस्सा जन्मजात रहा है। उक्त में आवेदक का हक व हिस्सा जन्मजात होने से उसी अनुरूप कब्जा काश्त रहा है। उक्त भूमियों को अनावेदक सं. 1 के नाम खातेदारी होने से उसकी आड़ में खुर्द बुर्द करने, बेचान करने या अन्य किसी भी रूप से हस्तांतरण करने का कोई हक व अधिकार नहीं है तथा न ही किसी को अनुचित अनाधिकृत रूप से कथित खातेदारी की आड़ में कब्जा करवाने या कब्जा करने का हक व अधिकार ही है। आवेदक के पिता अनावेदक सं. 1 काफी वृद्ध एवं मानसिक रूप से कमजोर होने से उनके सोचने समझने की क्षति क्षीण हो गयी है जो कि अनावेदक सं. 2 के बहकावे में आ रखे है। अनावेदक सं. 2 ऐन–केन–प्रकारेण उक्त भूमियों को अनावेदक सं. 1 के नाम कथित खातेदारी की आड़ में बेचान कराकर या उस संपूर्ण पर बैंक ऋण प्राप्त कर अनुचित लाभ लेने की कुचेष्टा में है जबकि विवादित भूमियां पैतृक होने से अनावेदक सं. 1 को ऐसा करने का कोई हक अधिकार नहीं है। जब आवेदक ने इनकी इस कारगुजारी बाबत सुना तो आवेदक ने उन्हें ऐसा नहीं करने एवं आवेदक के हिस्से की भूमि की खातेदारी ही अलग करवाने एवं बाद में बेचान या ऋण लेने को कहा तो अनावेदकगण सं. 1 व 2 नहीं माने, इस कारण आवेदक अपने अंश व हिस्सा के अनुसार अपने नाम करवाने हेतु यह आवेदन बाबत उद्घोषणा खातेदारी एवं उसी अनुरूप संशोधन राजस्व रिकार्ड का लाया जाना लाजिम आया है। अनावेदक सं. 2 बहुत ही चालाक किस्म का व्यक्ति है जिसने अनावेदक सं. 1 को बहका रखा है और यह जानते हुए भी कि उक्त भूमियां पैतृक है, जिसमें आवेदक एवं वाद में वर्णित प्रतिवादीया सं. 3 का भी उनके समान हक हिस्सा है, को खुर्द बुर्द करवाना चाहता है। जिसके तहत उक्त भूमियों को अनावेदक सं. 1 की खातेदारी में दर्ज होने के कारण अनुचित, अनाधिकृत रूप से हस्तांतरण विलेख किसी राजनैतिक एवं पैसे वाले बाहुबली व्यक्ति को करवाना

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़

चाहता है या उक्त पर बैंक से ऋण प्राप्त कर अकेले ही अपने पास रखकर अनुचित लाभ लेना चाहता है जिससे कि आवेदक एवं वाद में वर्णित प्रतिवादिया सं. 3 अपने हक हिस्सा से महरूम हो जावें, जबकि उक्त भूमियां पैत्रिक होने से उन्हें ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। अगर अनावेदक सं. 1 ऐसा करने में कामयाब हो गये तो आवेदक एवं वाद में वर्णित प्रतिवादिया सं. 3 के विधिक अधिकारों का हनन होगा। इसलिए विधिक अधिकारों एवं सांपतिक अधिकारों की सुरक्षार्थ यह आवेदन बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा का लाया जाना लाजिम आया है। प्रथमदृष्टया मामला आवेदक का सुदृद्ध है, सुविधा का संतुलन भी आवेदक के पक्ष में होने से अपूर्तनीय क्षति भी आवेदक को ही हो रही है। यदि अनावेदकगण अपने कुउद्देश्य में सफल हो गये तो आवेदक को इस कदर अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में किसी भी प्रकार से किया जाना संभव नहीं है। इसलिए अनावेदकगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना प्रार्थनीय है। अतः आवेदन पेश कर निवेदन है कि आवेदन पत्र की मद सं. 2 की उपमद (क) (ख) में वर्णित कृषि भूमियों पर आवेदन पत्र की मद सं. 3 में वर्णित हक हिस्सा अनुसार कब्जा काश्त में दखल देने एवं विवादित कृषि भूमियों में आवेदक एवं वाद में वर्णित प्रतिवादिया सं. 3 के हक व हिस्सा को बेचान करने, खुर्द बुर्द करने, हस्तांतरण विलेख करने या करवाने, बैंक ऋण प्राप्त करने से अनावेदकगण मय परिवारजन नौकर एजेंट को अस्थायी रूप से पाबन्द किया जाना प्रार्थनीय है।

2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ता 4 बावजूद तामील के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. प्रार्थी के योग्य अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम हनुमानपुरा तन खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में अवस्थित भूमि खसरा 1465, 1466, 1468 किता 3 कुल रकबा 1.53 है0 में आवेदक का 1/6 हि. एवं अनावेदक सं. 1 ता 3 का 1/6, 1/6 हि. है एवं खसरा नं. 1392, 1393 किता 2 कुल रकबा 0.13 है0 में आवेदक का 1/12 एवं अनावेदकगण सं. 1 ता 3 का 1/12, 1/12 हक हिस्सा है एवं उसी अनुरूप आवेदक एवं अनावेदकगण सं. 1 ता 3 का कब्जा काश्त है। उक्त भूमियां आवेदक के दादा जगदीश प्रसाद उर्फ जगन्नाथ की होने से पैतृक कृषि भूमियां है। आवेदक का हक व हिस्सा जन्मजात होने से उसी अनुरूप कब्जा काश्त रहा है। उक्त भूमियों को अनावेदक सं. 1 के नाम खातेदारी होने से उसकी आड़ में खुर्द बुर्द करने व बेचान करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। आवेदक के पिता काफी वृद्ध होने से अनावेदक सं. 2 के बहकावे में आ रखे है। प्रार्थी अपने हिस्से अनुसार उद्घोषणा खातेदारी एवं उसी अनुरूप संशोधन राजस्व रिकार्ड करवाने का अधिकारी है। प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है एवं अप्रार्थी सं. 1 अपनी खातेदारी की आड़ में उक्त भूमियों का बेचान किये जाने से अपूर्तनीय क्षति भी प्रार्थी को होगी। इसलिए अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

4. हमने प्रार्थी के योग्य अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। ग्राम हनुमानपुरा प.मं. खाटू तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की जमाबंदी संवत् 2065–68 खाता सं. 3 किता 2 कुल रकबा 0.13 है. में प्रार्थी का हि. 1/12 एवं खाता सं. 86 किता 3 कुल रकबा 1.53 है0 में हि. 1/6 बनता है वर्तमान में उक्त भूमियां अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमियां पुराने अभिलेख के अवलोकन से पैत्रिक भूमियां है जो प्रार्थी के बिना सहमति के खातेदारी की आड़ में अप्रार्थी सं. 1 बेचान करने से प्रार्थी के हक अधिकार का हनन होगा। प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि की उद्घोषणा करवाने का अधिकारी है। चूंकि प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा खातेदारी की आड़ में अपने हिस्से की भूमि का बेचान दीगर व्यक्तियों को करने से अपूर्तनीय क्षति भी प्रार्थीगण को होगी। अतः अप्रार्थीगण को तादौराने दावा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजियात ख.नं. 1465, 1466, 1468 किता 3 कुल रकबा 1.53 है0 में से प्रार्थी के हिस्से 1/6 एवं ख.नं. 1392, 1393 किता 2 कुल रकबा 0.13 है. में आवेदक के हि0 1/12 वाके ग्राम हनुमानपुरा प.मं. खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की मौके एंव रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। मिसल बाद तकमील कार्यवाही मूल दावा के संलग्न हो।

5. यह निर्णय आज दिनांक 30.04.2014 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ